14.6.22 वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी एवं भूजलेशो... रैस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी के पिता के निधन के पश्चात नामांतकरण संख्या 339 वार्ड ग्राम एडलपुर द्वारा अपीलार्थी का नाम सोनवीर दर्ज होगया था जबकि उसका वास्तविक नाम सोनू कुमार है उक्त नामांकरण के समय अपीलार्थी नाबालिग था और उसकी मां की सरबराही के नामांतकरण हुआ था और उसका घर का नाम सोनवीर होने के कारण मां की अज्ञानतावश नामांतकरण सोनवीर के नाम से होगया

सोनू कुमार

अपीलार्थी के साथ उसका भाई ... विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है उसने कथन किया कि उसके भाई का नाम सोनू कुमार है जो उसके सभी दस्तावेजात में दर्ज है उसके घर का नाम सोनवीर है। बचपन के मां के द्वारा उसके पिता के निधन पश्चात नामांतकरण कराते समय घर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया। अतः सोनवीर के स्थान पर सोनू कुमार नाम दुरुस्त कराने हेतु निवेदन किया है। अपनी पहचान हेतु रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आधार प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष के कथनों का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अंकतालिका कक्षा-10, अंकतालिका कक्षा-12, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, अंकतालिका B.A

म मुकदमा ______ नं. ______ सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	मे अभिलेख का नाम सोनू पुत्र आपरेशसिंह अंकित है। अतः उक्त दस्तावेजात के आधार एवं सहखातेदार बृजकिशोर की सहमति के आधार पर हम नामांतकरण संख्या 339 बाके ग्राम एहलपुर निरस्त कर तहसीलदार मनियां को पुनः जांच कर नामांतकरण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है। अतः आदेश है कि अपील अभिलेख स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 339, बाके ग्राम एहलपुर निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार मनियां को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभयपक्षकारों की सुनवाई कर साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण तय करते हुए पुनः नामांतकरण की प्रक्रिया अमल में लावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	